विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर

प्रश्न	**उत्तर**
2. (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि द्वितीय सत्र 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-15 खण्ड (क) के उत्तर में यह बताया गया है कि शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में नही आते है?	जी हॉं।
(ख) यदि हॉं, तो शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों को किस श्रेणी में माना गया है?	शिक्षामित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं।
(ग)शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों को किस तरह के कर्मचारीगण के नाम पर मात्र 10 हजार मानदेय दिया जा रहा है?	शिक्षामित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं, संविदा आधारित कर्मियों को नियत मानदेय ही दिए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान समय में शिक्षामित्रों को मानदेय रू0 3,500/- से बढ़ाकर रू0 10,000/- दिया जा रहा है ।
(घ)सरकारी खजाने से मानदेय या वेतन पाने वाले शिक्षा मित्रों पर इ0पी0एफ0 क्यों नही लागू है?	ई0पी0एफ0 योजना का क्रियान्वयन ऐसे संस्थानों में किया जाता है, जहाँ न्यूनतम् 20 कर्मचारी कार्यरत हैं। शिक्षामित्रों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर परिषदीय विद्यालयों के लिए किया गया है, जिनकी प्रत्येक विद्यालय में स्वीकृत संख्या 02 होने के कारण ई०पी०एफ० योजना लागू किया जाना The Employees' Provident Funds And Miscellaneous Provisions Act, 1952 में दिये गये प्राविधानानुसार अनुमन्य नहीं है ।
(ड़) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार)।